बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 13/10 / 2014

संख्या–2/कोर्ट-53/2012– 1066(2) /स्वा०, डा० राजेश वर्मा, टयूट्र फिजियोलॉजी विभाग, नालन्दा मेडिकल कॉलेज पटना को अधिसूचना संख्या–1323(2) दिनांक–18.11.2013 द्वारा समादेश याचिका संख्या–3647/12 में दिनांक 24.2.2012 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं बिहार सेवा संहिता के नियम 74(बी.) के साथ पठित वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 6190 बी० दिनांक 27.04.1979 में निहित अनुदेशों के आलोक में उनसे प्राप्त अभ्यावेदन पर दिनांक 24.05.2011 की तिथि से ऐच्छिक सेवा निवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. पेंशन की गणना के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि डा० वर्मा की कुल सेवा अवधि 10 (दस) वर्ष 10 (दस) माह मात्र ही है जो ऐच्छिक सेवा निवृत्ति की स्वीकृति की अर्हता की शर्त्तो को पूरा नहीं करती है क्योंकि ऐच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए 20(बीस) वर्ष की अर्हक सेवा अनिवार्य है ।

3. चूँकि डा० वर्मा बिहार सेवा संहिता के नियम–74(बी) एवं वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–6190(बी) दिनांक 27.04.79 में निहित शर्त्तो को पूरा नहीं करते है (20 वर्ष की अर्हक सेवा अनिवार्य), इसलिए अधिसूचना संख्या–1323(2) दिनांक 18.11.13 को रद्द किया जाता है।

4. दिनांक 30.10.92 से लगातार अनुपस्थिति अवधि एवं अनुशासनहीनता के लिए डा० वर्मा के विरुद्ध अलग से विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(सुरेश कुमार शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक –2/कोर्ट-53/2012– 1066(2) पटना, दिनांक 13/10 / 2014

प्रतिलिपि, अवर सचिव, वित्त (मुद्रणालय शाखा) विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि, प्रचार्य, नालन्दा मेडिकल कॉलेज, पटना/सिविल सर्जन, पटना /जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/ डा० राजेश वर्मा, टयूट्र फिजियोलॉजी विभाग, नालन्दा मेडिकल कॉलेज पटना, वर्त्तमान पता–पिता–डॉ० योगेन्द्र प्रसाद, हाउस नं०–194, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना–13 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख के निजी सहायक/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग /प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,9 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, श्री पुष्कर नारायण शाही, वरीय अधिवक्ता–सह–अपर महाधिवक्ता संख्या–10, पटना उच्च न्यायालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

D>2014>Adhisuchna